कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

खालीद रसीद वगैरह बनाम् अंचल अधिकारी, बगोदर

नामांतरण अपील वाद संख्या 01 /2022-23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक खालिद रशीद वगै0 पिता कलीमुद्धीन अहमद, साकिन-जरमुने चट्टी, थाना-बगोदर, जिला गिरिडीह द्वारा आवेदन दाखिल किया है कि, मौजा जरमुने, थाना नं0-108 के अन्तर्गत खाता नं0-52, प्लॉट नं0-2152 पंजी-II के भोलुम नं0-30 पेज नं0-138 रकवा-0.63 एकड़ का अंचलाधिकारी बगोदर के द्वारा दाखिल-खारिज केस नं0-203/12-13 के तहत पारित आदेश उनके हित के विरूद्ध है। अतः आदेश की समीक्षा हेतु यह अपीलवाद लाया गया है।

आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा नामान्तरण वाद सं0-203/12-13 में पारित आदेश की छाया प्रति दाखिल किया गया है। बिलम्ब से अपील दायर करने की स्थिति को क्षांत करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के अंतर्गत आवेदन भी दायर किया गया है।

आवेदक के आवेदन में दाखिल दस्तावेजों के आधार पर वाद को पंजीकृत करें तथा सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बगोदर-सरिया।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7.9.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 21.9.22 को रखें।	
21/9/22	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 12.10.22 को रखें।	
12.10.22	उभय पक्ष उप०। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 19.10.22 को रखें।	
19.10.22	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 22.10.22 को रखें।	
22.10.22	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। अंचल अधिकारी, ... को जवाब दाखिल करने हेतु स्मार निर्गत करें। TO 5/11/22	पत्रांक 115 23/10/22 द्वारा ... अंचल अधिकारी ...

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5/11/22	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुप०। अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त अभिलेख। दिनांक 16.11.22 को रखें। (ह०)	
16/11/22	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। सुना। आदेश हेतु रखें। (ह०) 16/11	

Scanned with CamScanner

(आदे)श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30/11/22	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०-203/12-13 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। अपीलकर्ता द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के अन्तर्गत भी विलम्ब से अपील दायर करने के बाबत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन में वर्णित तथ्यों से संतुष्ट होकर अपीलवाद को स्वीकार किया गया। अपीलकर्ता के अनुसार मौजा- जरमुने में स्थित खाता- 52, प्लॉट - 2152, रकबा - 1.11 एकड़ सर्वे खतियान के अनुसार गोंदवा बढ़ई के नाम है। विक्रय पत्र सं०- 2260 दिनांक 18/05/44 के द्वारा खाता- 52, प्लाट - 2152, एवं 2651 रकबा क्रमशः 1.11 एकड़ एवं 03 डी. महमूद आलीम को हासिल हुआ। उक्त महमूद आलीम द्वारा विक्रय पत्र सं०- 1530, दिनांक- 10/03/1951 महमद खलील को विक्रय कर दिया गया। उक्त	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	महमद खलील द्वारा विक्रय पत्र सं०- 4899, दिनांक - 17/03/1971 से खाता - 52, प्लाट - 2152, रकबा - 32डी. जमीन जसमुद्दीन अहमद के पास बिक्री कर दिये/. उक्त विक्रय पत्र में इदु कुरैशी गवाह बने/. जसमुद्दीन अहमद प्रथम पक्ष (अपीलकर्ता) सं०- 1 के दादा है तथा जमीन खरीदगी के पश्चात अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम है तथा स्थल पर उनका मकान एवं दुकान है/ अपीलकर्ता का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा गलत तरीके से दाखिल-खारिज वाद सं०- 203/12-13 के आधार पर जमाबंदी कायम कराकर मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं/ अंचल अधिकारी, बगोदर के समक्ष प्रथम पक्ष के द्वारा वर्ष 2013 में एक आवेदन देकर रसीद निर्गत करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी बगोदर के द्वारा जाँच	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	९० दिनांक - 11/02/2013 ~~से~~ से रसीद निर्गत करने पर रोक लगा दी गई, परन्तु जमाबंदी रद्द नहीं किया गया। अपीलकर्ता उक्त जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक ९०, दिनांक - 11.02.13 की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उक्त आदेश में अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा दाखिल-खारिज वाद सं० - 203/12-13 से निर्गत रसीद को स्थगित करने का आदेश दिया गया है। विपक्षी सब्बीर कुरैशी उपस्थित होकर आवेदन दाखिल किये। विपक्षी के अनुसार प्रश्नगत भूमि का मामला माननीय उच्च न्यायालय राँची में WPC 1321/2022 विचाराधीन है, अतः उक्त रिट याचिका के निष्पादन तक वाद की कार्यवाई पर रोक लगाई जाये तथा कोई आदेश पारित नहीं किया जाये। प्रश्नगत वाद में	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4	निम्नांकित विचारण बिन्दु हैं। (i) कि क्या अंचल अधिकारी नामांतरण वाद में पारित आदेश का पुनरावलोकन कर सकते है? (ii) कि यह वाद अपील योग्य है या नहीं है? (iii) क्या माननीय उच्च न्यायालय में प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित रिट विचाराधीन होने के कारण इस वाद में आदेश पारित किया जाये या नहीं? विचारण बिन्दु-1 - अंचल अधिकारी, बडोदर द्वारा नामांतरण वाद सं० - 203/12-13 के द्वारा विपक्षी के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाई की गई तथा एक आवेदन प्राप्त होने पर को स्थगित कायम माँगा गया। कर दिया गया। अंचल अधिकारी, द्वारा नामांतरण की कार्यवाई अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से "The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। उक्त अधिनियम में अंचल	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5	अधिकारी को अपने आदेशों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदत्त नहीं है। अतः अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक - 90, दिनांक - 11.2.2013 विधि सम्मत नहीं है। विचारणीय बिन्दु-2 — अंचल अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 14(2) के तहत पारित आदेश के अपील का प्रावधान धारा 15 में निम्न प्रकार से किया गया है — "15. Appeals-(1) An appeal shall lie to the Land Reforms Deputy Collector against the order of the Anchal Adhikari passed under (Sub Section (2)] of Section 14, if preferred within thirty days of the date of the order appealed against." अपीलकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के काफी दिनों के पश्चात यह अपील लाया गया है तथा विलम्ब को क्षांत करने के लिये Limitation Act 1963 की धारा-5 के अंतर्गत आवेदन भी	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

दाखिल किया गया है। उक्त आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा बताया गया है कि नामांतरण वाद के आदेश की जानकारी होने पर अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया कि से अंचल अधिकारी स्वीकार करते हुये समाबंदी पर अगले आदेश तक रोक लगाया गया था, फलतः अपीलवाद बिलम्ब से लाया गया। अपने दावे के समर्थन में अपीलकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी के आदेश की छाया प्रति दाखिल किया गया है। अतः अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुये विचार किया जा रहा है।

विचारणीय बिन्दु (iii) :- विपक्षी उपस्थित होकर अपने नामांतरण को यथावत रखने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य, दस्तावेज या लिखित/मौखिक दलील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा मात्र WPC 1321/2022 के निष्पादन तक इस वाद की कार्यवाई को स्थगित रखने का अनुरोध

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा प्रमेश्वर प्रसाद मंडल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18/10/2022 में आदेश दिया गया है कि

"..... it appears that the Revenue Authorities are under impression that if any Case is pending before any Court of law including the High Court, they are debarred from paning any order."

स्पष्टतया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि जब तक कोई आदेश वाद को रोकने के लिये पारित नहीं किया गया हो, सम्बन्धित राजस्व पदाधिकारी को वाद का निष्पादन करना है। अतः सुनवाई के उपरान्त यह आदेश पारित किया जा रहा है।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है

(i) कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत गोदवा बढ़ई हैं।

(ii) खतियानी रैयत गोदवा बढ़ई की मृत्यु के पश्चात उनकी

...श का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8	पत्नी मो० खोरिया ने निबंधित विक्रय पत्र सं०-2260, दिनांक- 18/05/1944 के द्वारा मो० यासीन पिता रसूल बख्स के पास कुल 1 एकड़ 14 डी. बिक्री कर दी। (iii) मो० यासीन के द्वारा बजरिये केवाला सं०-1530, दिनांक 10/03/1951 के से मो० खलील वल्द शेख भकु के पास उक्त रकबा में से 32 डी. जमीन को बेचा। (iv) उक्त मो० खलील ने बजरिये केवाला सं०-4899 दिनांक 17/03/1971 से अपील- कर्ता के द्वारा जमीरुद्दीन अहमद के पास 32 डी. जमीन बेचा।, (v) इसी प्रकार विभिन्न विक्रय पत्रों के माध्यम से मो० यासीन द्वारा बीबी अजीम फातमा, ~~अनवर अली बर्खी~~, दायम अली खाँ, बीबी मोकिना खातुन के पास जमीन बेच दिया गया है। मो० यासीन के पास कोई जमीन नहीं बची। (vi) मो० यासीन के पोता समीर कुरैशी वगै० द्वारा टाइटल सूट 649/1918 के आधार पर नामांतरण अंचल कार्यालय में दाखिल किया गया, जिसके आधार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पर नामांतरण स्वीकृत किया गया। (vii) नामांतरण वाद सं० 203/2012-13 में संधारित सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोदवा बढ़ई के वंशज के नाम से नोटिस निर्गत किया गया था तथा चान्दो मिस्त्री एवं पप्पू कुमार को नामित किया गया है। (viii) उक्त नामांतरण वाद के जांच प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि कबीर कुरैशी वगै० के परदादा रसुल बक्स को टाईटल सूट सं० 649/1918 के माध्यम से हासिल है। हल्का कर्मचारी ने इस तथ्य को इंगित नहीं किया कि रसुल बक्स के पुत्र मो० याशीन द्वारा सम्पूर्ण भूमि का विक्रय विभिन्न विक्रय पत्रों के माध्यम से कर दिया। (ix) उक्त नामांतरण वाद में टाईटल सूट की प्रति संधारित नहीं पाई गई तथा वर्तमान में भी विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। (x) उक्त नामांतरण वाद में हल्का कर्मचारी द्वारा	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10 1	2	3

प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी खतियानी रैयत के नाम से नहीं चल रही है। लेकिन यह प्रतिवेदित नहीं किया गया कि ~~उक्त~~ प्रश्नगत खाता 52, प्लाट सं0- 2152, रकबा- 1.11 डी. की जमाबंदी किसके नाम से पंजी-II में संधारित है, यदि नहीं है तो अब तक जमींदारी उन्मूलन के लगभग 62 वर्षों तक उक्त भूमि का लगान क्यों नहीं वसूला गया।

(xi) उक्त नामांतरण वाद के निष्पादन के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा आम इश्तहार भी निर्गत नहीं किया गया जबकि Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 की धारा 14(2) इसे अनिवार्य रूप से प्रावधानित करती है।

(xii) अपीलकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर को समर्पित आवेदन पर इनका कर्मचारी ने दिनांक- 11/02/2013 प्रतिवेदित किया है कि "..... आवेदक गण

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	कई वर्षों से उक्त खाता खेसरा का रसीद कटाते आ रहे हैं तथा ~~उक्त भूमि~~ उक्त खेसरा पर इन लोगों का मकान अवस्थित है। (xiii) अंचल अधिकारी बकोदर ने पुनः पत्रांक-724 दिनांक 03/11/22 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि "द्वितीय पक्ष सत्तार कुरैशी उर्फ कुन्दुन कुरैशी वगैरह द्वारा टाईटल सूट दिखलाकर उक्त भूमि का दोबारा नामान्तरण 2012-13 में कराया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल-कब्जा नहीं है तथा अपीलकर्ता का मकान अवस्थित है। दखल-कब्जा नामांतरण स्वीकृत करने की आवश्यक शर्त है जिसे अंचल अधिकारी द्वारा अनदेखा किया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 14(2) के प्रावधानों का भी पालन अंचल अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। नामांतरण का आधार टाईटल सूट को बनाया गया है जो अभिलेख में संधारित नहीं है और न विपक्षी के द्वारा ~~[illegible]~~ इस वाद की सुनवाई	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के समय भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा नामांतरण वाद सं० - 203/2012-13 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अपीलकर्ता के अपील को स्वीकृत किया जाता है। संबन्धित पक्षकारों को इस आदेश से अवगत करायें। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में विचाराधीन WPC 1321/2022 में पारित आदेश से यह आदेश प्रभावित होगा। 30/11/22 LRDC.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.21 18:16:16 +05:30
Location: 192.168.1.4

Scanned with CamScanner